



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(निर्णय/आदेश दिनांक 12.12.2019 को पारित किया गया)

रिट याचिका सेवा क्र. 8633/2019

1. परमेश्वर यादव पिता श्री मुरीतराम यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी-417 मिस्टा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
2. डिगेश्वरी साहू पिता श्री आशाराम साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- ग्राम परसपोल, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. रामजी जयसवाल पिता श्री रामनरेश जयसवाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 15, शहीद भगत सिंह वार्ड, डबल स्टोरी क्वार्टर नंबर 1059 भटगांव, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़
4. टिकेन्द्र साहू पिता श्री तुमन लाल साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -लालबहादुर नगर, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. पप्पू कुमार वर्मा पुत्रपिता श्री बिरझु राम उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - ग्राम करहीडीह, पो. खरली तह. आरंग, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ ---

याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा क्र. 8632/2019

1. आशीष सिंह पिता श्री सत्येंद्र सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी- मकान नंबर 4, वार्ड नंबर 13 आजाद चौक, राम नगर, कोहका सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़
2. पिंटू सिंह पिता श्री देवनाथ सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर 49, रेलवे कॉलोनी, सेक्टर 7 सिविक सेंटर भिलाई, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
3. दिनेश सिंह पिता श्री ललन सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर 63, आशीष नगर, वेस्ट रिसाली सिविक सेंटर, भिलाई, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. अजय कुमार पिता श्री कैलाश, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी - क्वार्टर नंबर 7 ए, रोड 25, वार्ड 43, सेक्टर 4, भिलाई 1, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
5. चंद्र प्रसाद गौतम पिता श्री प्रेमनारायण, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - 252 शास्त्री नगर, वार्ड 18, कैप 0-18, सुपेला भिलाई, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8650/2019

1. प्रकाश तिवारी पिता श्री रघुनंदन तिवारी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 5 गुडीपारा धूमा, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़



2. नंदलाल राठौड़ पिता श्री बलराम राठौड़ उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- ग्राम गतौरा, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. विजय नारायण बंजारा पिता श्री विद्याचंद बंजारा उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - 281 सिचाई कॉलोनी दर्री जमनीपाली, वार्ड नंबर 35, दर्री, कोरबा, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. आशीष रे पिता श्री सतीश रे, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - जंजी (सीपत), जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. रामजी पिता श्री नंदलाल उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - ग्राम खेड़ा तहसील-नवागढ़ खेड़ा, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8657/2019

1. करम लाल साहू पिता श्री शत्रुघ्न साहू, उम्र लगभग 33 वर्ष ,निवासी - मकान नंबर 145 ग्राम भजपुरी, पोस्ट भगत देवरी, भजपुरी, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
2. सतेंद्र कुमार गुप्ता पिता हरि शंकर गुप्ता, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - मोहन होटल, बस स्टैंड के पास जामगांव, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़



3. आकाश कुमार सोनी पिता स्वर्गीय श्री राजेश सोनी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी - 26 गौटियापारा, वार्ड नंबर 16, बेमेतरा, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़
4. राहुल पांडे पिता श्री शेष नारायण पांडे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 125, वार्ड नंबर 16, नया पारा जिला - बेमेतरा छत्तीसगढ़।
5. आशु तिवारी पिता श्री मुखदेव तिवारी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी - ओल्ड माइनस, वार्ड नंबर 13, भटगांव, भटगांव कोली, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8664/2019

1. गोपाल कहार पिता श्री जवाहर लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 13, बेमचा, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
2. उपेन्द्र कुमार पटेल पिता रामगली पटेल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - भठोरी, बसना, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
3. जीतेन्द्र सिंह पिता ढाल सिंह, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी - पटनम पारा वार्ड नंबर 4, सुकुमा, जिला: सुकुमा, छत्तीसगढ़



4. तामेश्वर पिता श्री ईश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी – वार्ड नंबर 5 सेमरा पारा, संबलपुर लतारी जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़
5. बेदराम कुरैटी पिता श्री शोभा राम कुरैटी, उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी मकान नंबर 153, वार्ड नंबर 9, आवास पारा, करिहा, ग्राम हरदुला, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8674/2019

1. सुनील अजगळे पिता श्री सुरेंद्र अजगळे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी – ग्राम पचपेड़ी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
2. सूर्यभान भास्कर पिता श्री देवनाथ भास्कर, उम्र लगभग 34 वर्ष ,निवासी –मकान नंबर 8, वार्ड नंबर 9, आवासपारा, ग्राम गौरगांव, डाकघर नथिया, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
3. भुवन भास्कर पिता श्री सुरेश कमलाकर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी –ग्राम सुरकुलकारी थाना मस्तूरी, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. रूपेंद्र कुमार साहू पिता जीवन लाल साहू, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी – वार्ड नंबर 4, आवराडबरी, खल्लारी, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़



5. प्रमोद कुमार धृतलहरे पिता श्री चंद्रिका प्रसाद धृतलहरे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 407 लीला चौक, छेरकापुर, जिला: बलौदाबाजार– भाठापारा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8686/2019

1. विजय कुमार पिता श्री दिनेश कुमार उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी– ग्राम अकलसरा, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़
2. रूपेश्वर प्रसाद पिता श्री कृतराम साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी –ग्राम झिरिया पोस्ट कामता तहसील सिमगा, जिला : बलौदाबाजार–भाठापारा, छत्तीसगढ़
3. दिगेश्वर प्रसाद वर्मा पिता श्री हृदय राम उम्र लगभग 30 वर्ष७ निवासी – वार्ड क्रमांक 05 ग्राम केसली, पोस्ट–भैंसा, केसली (खिलौरा), जिला: बलौदाबाजार–भाठापारा, छत्तीसगढ़
4. वासुदेव मनहर पिता श्री मोहरसाय मनहर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मकान नंबर 14, कोदवा (कोटवा) जिला: बलौदाबाजार भाठापारा, छत्तीसगढ़
5. सोना लाल सिन्हा पिता श्री तुला राम सिन्हा उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मकान नंबर 77, वार्ड हाउस 05, सांगली, अंबागढ़ चौकी, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण



बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8702/2019

1. सोमप्रकाश बैस पिता स्व. श्री उत्तम बैस उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 18 वार्ड नंबर 8, भाटा पारा देवरी, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
2. भरत ठाकुर पिता स्व. श्री विजय ठाकुर उम्र लगभग 27 वर्ष ,निवासी - मकान नंबर 142 वार्ड नंबर 24, शिव चौक फौजी सैलून, नयापारा, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
3. मनीराम ध्रुव पिता श्री जंतराम ध्रुव उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 34, ध्रुव पारा, मोपकी, धनेली, जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़
4. इंद्र कुमार साहू पिता श्री लच्छी राम उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -ग्राम- परसकोल, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
5. रोशन लाल साहू पिता श्री भुखन लाल साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी- ग्राम-परसकोल, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8716/2019

1. संजय कुमार कश्यप पिता श्री मोहन लाल कश्यप उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -ग्राम सलखान थाना शिरीनारायण, जिला : जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
2. बिसेन्द्र कुमार गोयल पिता श्री जयपाल गोयल उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- ग्राम महाका, राहौद थाना शिरीनारायण, जिला : जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. दलवीर सिंह लहरे पिता श्री छोटेलाल लहरे उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 12, बजारपारा कोसीर पामगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. अनित कुमार दिनकर पिता श्री राम कुमार दिनकर उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, चारपारा कोसीर पामगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. राजेश कुमार सेन पिता श्री नारद सेन उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 43, वार्ड नंबर 03, श्रीवासपारा चरौदा बुंदेली, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8722/2019

1. भुनेश्वर निषाद पिता श्री जनक राम निषाद उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी- ग्राम गबदा, भिंभोरी बेरला जिला- बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
2. मनोहर सिंह सिदार पिता श्री रामसिंह सिदार उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 1 वार्ड नंबर 1 बडेसाजापाली, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
3. जयलाल यादव पिता श्री सुबरन यादव उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 65/4 वार्ड नंबर 8, भवरघुआ, बसना, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
4. आशुतोष निर्मलकर पिता श्री परसराम निर्मलकर उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी स्कूल पारा, खोंड, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. दिलीप कुमार यादव पिता श्री शत्रुघ्न यादव उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मकान नंबर 407, वार्ड नंबर 18, अमरैया पारा, तागा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8724/2019

1. चेतन सिंह कंवर पिता श्री पुरुषोत्तम कंवर उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 14, ग्राम - रांकाडीह, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
2. परमेश्वर साहू पिता श्री गयाराम साहू उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक. 17, रांकाडीह, भोथीडीह, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
3. लेखन लाल साहू पिता श्री लीला राम राहु उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी - मकान क्रमांक 143, वार्ड क्रमांक 6 गिरौद, खैरझिटी, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
4. शैलेन्द्र कुमार पिता श्री तुलाराम उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी - मकान नं. 260, वार्ड क्रमांक 3, रांकाडीह, भोथीडीह, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
5. कार्तिकराम यादव पिता श्री गुंतीराम यादव उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - मकान क्रमांक 73, वार्ड क्रमांक 1, गांव - भुरकोनी, तहसील पिथौरा जिला - महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा क्र. 8737/2019

1. योगेश कुमार खांडेकर पिता श्री खिखराम खांडेकर उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -वार्ड क्रमांक 8/101/1, डुडगा, स्कूल पारा, भद्रा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
2. यशवन्त राय पिता श्री बलराम प्रसाद राय, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी -मकान नम्बर 275, वार्ड नम्बर 12, सुरहोली, कुसमी बिड़ला, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
3. दीपक रजक पिता श्री लखन लाल रजक उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -ग्राम व पोस्ट लमेर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. सतीश सिंह पिता श्री कमल सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी -ग्राम धामी, चकरभाटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. राहुल दुबे पिता श्री उत्तम दुबे उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 2620, कालिकानगर, तिफरा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8747/2019

1. देव प्रकाश पिता श्री देवीलाल साहू उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी ग्राम खरकेना, पोस्ट हिरी माइंस जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।



2. राधेश्याम पिता श्री जहरी राम उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी –ग्राम मानिकपुर डाकघर घोघर तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
3. फागु सिंह पिता श्री पलटन सिंह ठाकुर उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम मानिकपुर डाकघर घोघर तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।
4. जीवन लाल पिता श्री छोटू राम चंद्रवंशी उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी– मकान नंबर 56, लखनपुर, कलां जिला कवर्धा छत्तीसगढ़, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
5. विजय सिंह नेताम पिता श्री रामचन्द्र नेताम उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी –वार्ड क्रमांक 4 डोंगरिया, कलां, जिला कवर्धा जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8763/2019

1. नरेश साहू पिता स्व. श्री संतु साहू उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 7, यादव नगर, राम मंदिर तिफरा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
2. सुआज पांडे पिता श्री युगल किशोर पांडे उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी –वार्ड नंबर 4, मस्जिद के पास, यदुनंदन नगर, तिफरा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।



3. तोषण शर्मा पिता राम जीवन उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 5, गार्डन के पास, साईं विहार कॉलोनी, यदुनंदन नगर, तिफरा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
4. सतीश कुमार पैकरा पिता स्व. श्री पुनीत कुमार पैकरा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी पटेल पारा, ग्राम पंचायत-कुंवरपुर, पोस्ट-लखनपुर, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
5. राजेंद्र कुमार साहू पिता स्व. श्री भाऊ राम साहू उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी- ग्राम सकरा जिला- बिलासपुर छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8764/2019

1. दिनेश कुमार अनंत पिता श्री अमृत लाल अनंत उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 45 चुरटेला, पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।
2. देवदत्त चन्द्रशेखर पिता श्री रामेश्वीर प्रसाद महिपाल उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -चुरटेला, पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़
3. डोमनलाल पिता श्री मान सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 106, सरेखा भाठागांव जिला बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़



4. सुनील कुमार वर्मा पिता श्री जगदीश वर्मा उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी –इंद्रा पारागांव, खुर्द, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
5. केशो राम पिता श्री रामचंद उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी – ग्राम खोभा जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8770/2019

1. दिनेश वैष्णव पिता श्री संतोष वैष्णव उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी –ग्राम कनौजियाकापा पुराना मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
2. महेश यादव पिता श्री श्यामलाल यादव उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी – पोस्ट पुरन, ग्राम कनौजियाकापा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला : मुंगेली, छत्तीसगढ़
3. हुकुमचंद जयसवाल पिता रामसनेही जयसवाल उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी –महामायापारा, पोस्ट चकरभाटा, जिला : मुंगेली, छत्तीसगढ़
- 4.रामेश्वर साहू पिता श्री गगनराम साहू उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी – वार्ड क्रमांक 18, कर्मा अटक चौक, बलेरा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़



5. पवन सिंह राजपूत पिता श्री पुनीत सिंह राजपूत उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ओम जोन, अभयानंद भवन, शुभम विहार, मंगला जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़,

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8772/2019

1. दिनेश कुमार साहू पिता श्री आशाराम साहू उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी- ग्राम पारसकोल बाना, आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मनोज कुमार दीवान पिता श्री नारायण दीवान उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13, पोस्ट ऑफिस सिंघी, नायकबंधा, सोरम जिला महासमुंद जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
3. सुभाष कुमार पिता धनीराम उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 3, झगरिया पारा, ग्राम रूनियाडीह, रामनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
4. श्याम सोनवानी पिता श्री भगवती सोनवानी उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर 13, लालबंद पारा नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8787/2019

1. राजेश कुमार पिता श्री भागवत उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -ग्राम अमलीडीह जिला मुंगेली छत्तीसगढ़।
2. गणेश राम लहरे पिता श्री भूरु राम लहरे, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी भालुचुवा, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
3. गजेंद्र निषाद पिता श्री मोहन लाल निषाद उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 15, बस्तीपारा गबदा, भिंभोरी, जिला-बेमेतरा छत्तीसगढ़।
4. पूनम सिंह पिता श्री जगल राम उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -खालपारा, खोपा जिला - सुरजपुर छत्तीसगढ़।
5. मीना पिता श्री अलीराम पात्रे, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 81/1, वार्ड नंबर 13 पंडरिया जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8798/2019

1. रमेश पुरैना पिता श्री चोवाराम पुरैना उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 173, बेलदार सिवनी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. प्रमोद कुमार जयसवाल पिता श्री शत्रुघ्न लाल जयसवाल उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी -953, बस स्टैंड, वार्ड नंबर 15 बिलाईगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़
3. सुरेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर पिता तुलसी सिंह राजपूत ठाकुर उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 16(1) ठाकुर पारा डाकघर चकरभाटा, कोलिहा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।
4. सुनील साहू पिता श्री मुकेश साहू उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 542354, कुकुर बड़ा, आमनाका, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8810/2019

1. उपेन्द्र कुमार निशाद पिता श्री नेत राम निषाद उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 20 गुमा-2 मानस चौक के पास, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. लोमेश कुमार पिता श्री मोहन लाल उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 3, राहौद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. दुर्गेश निर्मलकर पिता श्री राजू निर्मलकर उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी - ग्राम गुमा-2 तेंदुवा, बृंदवागढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. प्रमोद कुमार वर्मा पिता श्री जीवानंद वर्मा उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी - ग्राम मुंगेसर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8836/2019



1. नरेंद्र कुमार साहू पिता श्री परमानंद साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी – ग्राम बनाहिल जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़
2. चंद्रभूषण साहू पिता श्री रामदयाल साहू उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 58 सड़क पारा, बनाहिल, जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़
3. दिनेश कुमार नायक पिता श्री नारायण प्रसाद नायक उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी –पुरानी बस्ती, उच्चभिठी, किरोडीमलनगर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. धीरज पटले पिता श्री चद्रिका पाटले, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 21, रेलवे स्टेशन, ग्राम महमंद, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

--- -याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8883/2019

1. सुरेंद्र कुमार साहू पिता श्री शत्रुघन लाल साहू उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 6 छपरा कॉलोनी हतकेसर जिला धमतरी, छत्तीसगढ़
2. धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री परस राम वर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी – ग्राम कोहकाबोड़, पोस्ट पिपरिया, तहसील खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।



3. तिलक राम पिता श्री लतेलू राम ठाकुर उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -देवपारा, ओदरागहन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. अनमेश कुमार लालपुरे पिता श्री राजकुमार लालपुरे उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी -क्वार्टर नंबर 1248/2, बापू उपनगर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. रवीन्द्र कुमार साहू पिता श्री धजाराम साहू उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी - सोनाईडीह, पोस्ट-पोंडीशंकर, ब्लॉक-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8889/2019

1. विकास शर्मा पिता श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - 193 पुछापारा शास्त्री नगर, कटघोरा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।
2. सुशील कुमार बंजारे पिता श्री मिलाप बंजारे उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 67 सतनामी मोहल्ला, वार्ड नंबर 04, बिल्हा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. मार्तंड सिंह पिता श्री मदन सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 131 सकूल पारा धरमपुरा, सोढ़ार, जिला- मुंगेली, छत्तीसगढ़।



4. संदीप कुमार कौशिक पिता श्री भरत लाल कौशिक उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 02 पोंगरिहा, मतसगरा जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8891/2019

1. सत्यप्रकाश भारद्वाज पिता श्री साधुराम भारद्वाज उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 54, गुड़ीपारा, वार्ड नंबर 04, ग्राम झिलमिली, भैंसा जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।
2. नरेंद्र सिंह राजपूत पिता श्री दुखी राम राजपूत उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी -बजरंग चौक, वार्ड नंबर 05 सरधा, लोरमी, जिला- मुंगेली, छत्तीसगढ़।
3. एवन सिंह पिता श्री कृष्ण राम उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -70, भकुरा, कल्लू बंजारी, छुरिया जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
4. राजेश कुमार साहू पिता श्री आनंद कुमार साहू उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी -स्कूल पारा, वार्ड नंबर 03, उपरवारा, अभनपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्तागण

बनाम



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8911/2019

1. चंद्रेश कुमार वर्मा पिता श्री नरसिंह वर्मा उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- ठाकुरटोला, धारा जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
2. वीणावाणी जैन पति श्री शिवेन्द्र जैन उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 15 नरसारी पारा, पोस्ट- सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. सुलोचना यादव पति श्री अरुण कुमार यादा उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 473, वार्ड नंबर 12, खोपली जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. संतोष कुमार साहू पिता श्री पन्ना लाल साहू उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -5-बी/29 सेक्टर-1 वार्ड नंबर 37 भिलाई-1 जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
5. कमलेश पति श्री अश्वनी कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 12/4 गली नंबर 12 वार्ड नंबर 38, भिलाई-1 जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्तगण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8985/2019

1. गोविंदा चतुर्वेदी पिता श्री विदेशीलाल चतुर्वेदी उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 02, बलौदा जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।
2. दीपक कुमार पटेल पिता श्री विष्णु पटेल उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 10 बम्हनी कन्हेरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़
3. वीरेंद्र साहू पिता श्री रूपलाल साहू उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 92 गेगदा कबीरधाम जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
4. धर्मेन्द्र मांडले पिता श्री काशीराम मांडले उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 176, रसेडी, सहाड़ा जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़
5. गणेश राम यादव पिता श्री बहोरिक राम यादव उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी -ग्राम बसहा जिला बेलतरा] छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8989/2019

1. अभिषेक कुमार पिता श्री पी.आर. साहू उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 6 तिफरा यादव नगर, तिफरा जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. गणेश सिंह मरावी पिता श्री हरनाम सिंह उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी -अराइबंद गुनसारी, बेलसरी, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. कलमलेश कुमार साहू पिता महेश कुमार साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी- सी-72 पुलिस बस्ती, बिलासपुर औद्योगिक एस्टेट, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. सतीश कुमार यादव पिता श्री बेदराम यादव उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- ग्राम लमेर जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. श्रीमती प्रभा मांडले पति श्री राजेश कुमार मांडले उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर 15 गुरु घासीदास मंदिर के पास तारबाहर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8993/2019

1. वेदप्रकाश मधुकर पिता श्री भुवन लाल मधुकर उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -वार्ड क्रमांक 7, मोहभट्टा रोड, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
2. रविकांत मध्यकर पिता श्री श्री भुवन लाल मधुकर उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 7, मोहभट्टा, रोड, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।
3. वेदप्रकाश साहू पिता श्री रमेश कुमार साहू उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -धौराभाठा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. बीरेंद्र कुमार साहू पिता नारायण प्रसाद साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी - मकान नंबर 107, धौराभाठा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
5. संतोष चंद्रा पिता श्री मलिक राम चंद्रा उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 1, बहठागांव, जैजैपुर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा क्र. 8997/2019**

1. खिलावन जंघेल पिता श्री शांतनु उड़िया उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी – कुठेलीकला, छुईखदान, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
2. हुसेन कुमार जोशी पिता श्री बाबूलाल जोशी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी –मकान नंबर 137/10 आमघाट, कड़ा, उदयपुर छुईखदान जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़,
3. गोविंद राम वर्मा पिता श्री हीरालाल वर्मा उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी –कुठेलीकला, छुईखदान जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
4. संजय कुमार रात्रे पिता श्री ढेलाराम रात्रे उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी– मकान नंबर 34 वार्ड नंबर 2 सतनामी पारा, गीधा सेरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।
5. अशोक कुमार साहू पिता श्री उमेंदी राम उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी –ग्राम मिस्टा, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9012/2019

1. धर्मपाल साहू पिता श्री मनसा राम साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी –वार्ड नंबर 2 स्कूल पारा, लिमो, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़



2. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पिता घनश्याम प्रसाद उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 33 वार्ड एन 2, डोंगरिया कलां जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
3. रामशरण साहू पिता श्री मस्त राम साहू उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी –मोहल्ला डोंगरिया, कलां जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
4. नेमसिंह नेताम पिता श्री रमेश नेताम उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी– डोंगरिया कलां, पंडरिया जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
5. सुनील कुमार चंद्रवंशी पिता श्री छोटूराम चंद्रवंशी उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी –लखनपुर, कलां, रवेली जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9040/2019

1. रेशन लाल मिरी पिता श्री राजेंद्र कुमार मिरी उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी –665, वार्ड क्रमांक 32, रविग्रान, तेलीबांधा, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़,
2. गजाधर वर्मा पिता श्री बिसम्बर वर्मा उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी– चिखली-1, कुरुद, कुटेला, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़।
3. चैतन्य कुमार पिता श्री श्री रघुनाथ सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी –ग्राम–धौराभाटा जिला–दुर्ग छत्तीसगढ़।



4. ईश्वर वर्मा पिता श्री छेदन लाल वर्मा उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -117, टेकारी-1, टेकारी कुंडा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9057/2019

1. दिलीप कुमार ध्रुव पिता मनहरण लाल ध्रुव उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस लाइन बैरन बाजार, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
2. शुभम सिंह ठाकुर पिता श्री पवन कुमार ठाकुर उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 41/1191, सत्यनारायण मंदिर के पास, टिकरापारा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्रमोद कुमार पिता श्री रामचरण टंडन उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 7, मस्तूरी पचपेड़ी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. चंद्रकांत वर्मा पिता श्री नारायण वर्मा उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 3, ग्राम कटाई, जिला बदनारा, छत्तीसगढ़।
5. विनोद कुमार कश्यप पिता श्री राधेश्याम कश्यप उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी -बसहा, बिचपारा बेलतरा, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण



बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9058/2019

1. जितेश कुमार पिता श्री पदुमनाथ उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 207, वार्ड नंबर 14 कटौद, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
2. हुलशन कुमार गहारे पिता श्री साधराम गहारे उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 2, बिटकुली, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. मनोज साईं पिता श्री हरि भजन साईं उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 25, पगुराबहार, कंदलबहार, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़
4. हरि शंकर पिता श्री मंगतू राम उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी -बंधवापारा, लामेर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. शरद कुमार लहरे पिता श्री राधेश्याम लहरे उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 19, ग्राम कछार, लोफंडी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9059/2019

1. युवराज ठाकुर पिता सुंदर सिंह ठाकुर उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 43, वार्ड नंबर 18, भाखरी तहसील डोंगरगांव जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
2. संजय कुमार निषाद पिता नीमू राम उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 14, अर्जुनी, डोंगरगांव, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संतोष कुमार साहू पिता श्री शांतनु राम साहू उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 00 वार्ड नंबर 1, बुद्धभरदा, जंगलपुर, डोंगरगांव, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
4. खेलेंद्र कुमार पिता श्री लेखराम उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 265, वार्ड नंबर 11, अर्जुनी, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. अरुण कुमार पिता श्री रिखी राम उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी -ग्राम खैरजिह्दी पोस्ट डोंगरीखुर्द, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9074/2019

1. अनिल साहू पिता श्री मलेशी साहू उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 02, गली नंबर 02, साईनाथ कॉलोनी, कोटा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
2. दुर्गेश्वरी जालसेज पिता श्री राम बगास जालसेज उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी -127, वार्ड नंबर 08 ग्राम बुडेनी, खौली, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. भूषण लाल वर्मा पिता श्री अशोक कुमार वर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी -ग्राम तुलसी, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. सुनील सिंह राजपूत ठाकुर पिता श्री तुलसी सिंह राजपूत ठाकुर उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मकान नं. 16(1), ठाकुर पारा, कोलिहा, चकरभाठा, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा क्र. 9088/2019

11. सुजीत कुमार तिवारी पिता श्री जगदंबा प्रसाद तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी –साईं नाथ मंदिर के पास, कोटा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
2. गेंद लाल मैत्री पिता श्री कृष्ण कुमार मैत्री, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी –वार्ड नंबर 11 कुसुमझार, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. राकेश कुमार साहू पिता श्री पिरथी राम साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी- 65/1 डंगनिया, धमधा जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. मनोकांत उइके पिता श्री धनीराम उइके उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- 18, पार्वतीपुर, उमेश्वरपुर जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9090/2019

1. कृष्ण कुमार चंद्रवंशी पिता श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी –ग्राम डोंगरियाकाल पोस्ट पांडातराई, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
2. विनय कुमार पिता श्री कमल राम उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी- भोथाडीह, रांकाडीह, मगरियोड, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़



3. गोपालनी साहू पिता श्री प्रेमलाल साहू उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी –ग्राम झिरिया, पोस्ट कामता, सिमगा, जिला: बलौदाबाजार–भाठापारा, छत्तीसगढ़
4. संजय कुमार पिता श्री दीपक कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी –तुर्काडीह, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9126/2019

1. राजेश कुमार देवांगन पिता श्री लक्ष्मण देवांगन उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी –आवास पारा, सरधा, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
2. लक्ष्मी नारायण साहू पिता श्री कार्तिकराम साहू उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम नाथेलापारा, दाऊकापा, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
3. प्रताप सिंह पिता श्री फूलचंद राजपूत, निवासी– ग्राम सरधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9261/2019

1. खुमान सिंह लहरे पिता श्री राजकुमार उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 194, वार्ड नंबर 11, घासीदास पारा, नवागांव थूहा, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़
2. दिलकश अंसारी पिता श्री महमुद्दीन अंसारी उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी -वार्ड नंबर 7, ग्राम व पोस्ट-विजयनगर, तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।
3. लव कुमार पिता श्री ज्ञानदास राठौड़ उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी- प्र. नं. 13/5, मनोरंजन मंदिर, बांकी मोंगरा, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. दीपक वर्मा पिता श्री राजाराम वर्मा उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -पटेल पारा, वार्ड क्रमांक 04, ग्राम कोसमंडी, तहसील पलारी, जिला: बलौदाबाजार- भाठापारा, छत्तीसगढ़
5. राकेश कुमार ठाकुर पिता श्री केदार सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -ग्राम रायमुंडा, अचानकपुर, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9266/2019

1. बेदप्रकाश बघेल पिता स्व. श्री चिंटूराम बघेल उम्र लगभग 30 वर्ष] निवासी- 89, वार्ड क्रमांक 19, सतनामी पारा, बिचारपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
2. यशवंत कुमार पिता स्व. श्री राम मिलन उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी- गुड़ी चौक, ग्राम धुरवाकारी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. रवीन्द्र कुमार जगत पिता स्व. श्री लालजी जगत, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी -पोंडी, बिटकुली, बेलहा, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. कमल नारायण खुंटे पिता स्व. श्री बोधीराम खुंटे उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 20, बोरसी, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा क्र. 9273/2019**

1. अजय कुमार मरार पिता श्री बालमुकुंद, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 51, बांगो, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
2. श्रीकांत कुमार यादव पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी –यादवपारा, त्रिकुंडा, कृष्णा नगर, जिला-बलरामपुर छत्तीसगढ़।
3. संजय कुमार यादव पिता श्री रामबृक्ष यादव उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 3, परसागुड़ी रोड, पंचायत भवन के पास, जिला: बलरामपुर, छत्तीसगढ़
4. चन्द्र शेखर पिता श्री सुखी राम उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 16, बेमचा, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
5. छोटेलाल पिता श्री सरसाराम बंजारे उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी- वार्ड नंबर 19, बाजारपारा, झिलमिली, भैंसा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9281/2019

1. चंद्रहास सिंह धुर्वे पिता श्री तितरु सिंह धुर्वे उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 16 ए, स्कूल पारा, जकड़ बंधा, सुरही, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़



2. जय कुमार पटेल पिता श्री रामनारायण पटेल उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी -99/2, गुड़ेली मंदिर पारा, सारंगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
3. प्रकाश पटेल पिता श्री बी.के. पटेल उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -बी-5/123, वार्ड नंबर 33, बी-टाइप गोदरीपारा, कुआरसिया, चिरमिरी, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़
4. किशन कुमार चंद्रा पिता श्री श्याम लाल चंद्रा उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 381, राजीव नगर, डभरा, सुखड़ा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. केदार नाथ चंद्रा पिता श्री बलराम चंद्रा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 379, वार्ड नंबर 19, सुखड़ा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9812/2019

1. प्रहलाद कुमार साहू पिता श्री खम्हन लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 7 गिद्धा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
2. विक्री जाटवर पिता श्रीकेशव जाटवर, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी -171, घासीदास चौक के पास, रसेडी, जिला: बलौदाबाजार-भाठापारा, छत्तीसगढ़



3. अमित कुरें पिता श्री बृजमोहन कुरें, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी –ग्राम व पोस्ट पचपेड़ी, थाना मस्तूरी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. दिनेश चंद्र पटेल पिता श्री आनंद राम पटेल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी –मकान नंबर 54, धूमा, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर – 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 9978/2019

1. राधारमण पटेल पिता श्री कोमल प्रसाद पटेल उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी –वार्ड नंबर 07, गुड़ीपारा, घुमा, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
2. विकास सिंह मरावी पिता श्री हरनाम सिंह मरावी, उम्र लगभग 22 वर्ष, श्री हरनाम सिंह मरावी, निवासी –ग्राम गुनसारी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. देवेन्द्र कुमार पिता श्री केशव राम उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी –73 सरेखा पोस्ट भाटागांव (बी), जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. चंद्रभान सिंह टंडन पिता श्री भेनाराम टंडन उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी –वार्ड नंबर 9 बोरसी, मंदिर चौक, पामगढ़, कोसा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़



5. टिकेश साहू पिता श्री नरोत्तम साहू उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -वार्ड क्रमांक 4 ग्राम राकाडीह पोस्ट बोधिति, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 10033/2019

1. अश्वनी कश्यप पिता श्री जीतेन्द्र कश्यप उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -यदुनंदन नगर तिफरा, वार्ड क्रमांक 07 यादव नगर, इंडस्ट्रियल इस्टेट, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़।
2. वीरेंद्र कुमार रजक पिता श्री बंशीलाल रजक उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी -वार्ड क्रमांक 2 मुसलमान मोहल्ला, कुदुदन जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्र. 8796/2019

1. मनीष कुमार पिता श्री जैनेन्द्र कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी -वार्ड क्रमांक 9 पटेलपारा सलका, खड़गवा, ग्राम सलका पोस्ट दावाडांड जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़
2. सूरज कुमार पिता श्री सोमारु यादव उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -जामापारा वार्ड नंबर 19, बैकुंठपुर, जिला कोरिया छत्तीसगढ़, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़।
3. देवप्रताप सिंह पिता श्री मोहनलाल सिंह उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी -बंसीपुर, पोस्ट जरही जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़
4. मोहन राम पटेल पिता श्री नसीब राम पटेल उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 161 वार्ड नंबर 9 बिरानपुर, कला, दनिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़,
5. संतोष कुमार निराला पिता भूखन लाल निराला उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी -मकान नंबर 95, वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती, गंगाजल मिस्दा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़,

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह विभाग (पुलिस), महानंदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक नं 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्र. 04 सेक्टर 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



4. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, ब्लॉक क्रमांक 4 सेक्टर - 19, इंद्रावती भवन के पास, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु : श्रीमती नौशिना आफरीन अली सहित श्री टोपीलाल बरेथ, श्री
नितांश नीतांश कुमार जैसवाल एवं श्री अजय कुमरानी, अधिवक्तागण
राज्य/उत्तरवादीगण हेतु : श्री अमृत दास, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं श्री
अविनाश सिंह, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी

सी. ए. वी. आदेश/निर्णय

1. चूंकि यह विवाद्यक याचिकाओं के पूरे बैच में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया/चयन को निरस्त करने से संबंधित है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और सामान्य आदेश द्वारा निर्णय दिया जा रहा है।

2. सामान्य चुनौती अनुलग्नक पी-1 के रूप में दायर 27.09.2019 दिनांकित आदेश के लिए है जिसमें पुलिस बल में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 2259 रिक्त पदों पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था।

3. विवाद्यक के तथ्य यह हैं कि दिनांक 29.12.2017 पर, आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के चयन और भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन प्रस्तावित संशोधन के अनुरूप तैयार किया गया था जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 (अब से "2007 के नियम" के रूप में जाना जाता है) में सम्मिलित किया जाना था। दिनांक 03.01.2018 को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हुई और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04.02.2018 थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दिनांक 23.2.2018 को राज्य द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें प्रस्तावित संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात, समय-सारिणी के अनुसार, मई-जून, 2018 के महीने में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप से गुजरने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद दिनांक 07.09.2018 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी पुलिस



अधीक्षकों को आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) भर्ती 2017-2018 की लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यवाही हेतु पत्र जारी किए। लिखित परीक्षा 30 सितंबर, 2018 को आयोजित की गई थी। इसके बाद दिनांक 04.10.2018 को पुलिस मुख्यालय द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए और आपत्तियां आमंत्रित की गईं। इसके बाद दिनांक 26.12.2018 को पुलिस मुख्यालय द्वारा पुनः मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए और आपत्तियों को श्रेणीबद्ध करने के बाद, प्रश्न / उत्तर पुस्तिकाओं के सभी 4 सेटों में से 4 प्रश्न हटा दिए गए।

4. इसके बाद चूंकि परिणाम घोषित नहीं किया गया था, इसलिए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा 2019 की रिट याचिका सेवा क्र. 1923 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 18.03.2019 के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्र. 2 को परिणाम प्रकाशित करने के लिए 60 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिनांक 27.09.2019 को उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती प्रक्रिया को इस आधार पर निरस्त करने के आदेश पारित किए गए थे कि इससे विधि विभाग के मत के अनुसार कुछ विधिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद उसी तिथि अर्थात् दिनांक 27.09.2019 को उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत दिनांक 23.02.2018 के पहले संशोधित नियमों को पिछले नियमों से बदल दिया गया और नए सिरे से भर्ती और चयन के लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केवल परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया संशोधित भर्ती नियमों के आधार पर की गई थी और प्रारंभिक विज्ञापन में शारीरिक दक्षता परीक्षा के चयन के लिए मानदंड प्रकाशित किया गया था, जिसमें एक पुरुष उम्मीदवार को 5.40 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करने की आवश्यकता थी और एक महिला उम्मीदवार के लिए 3.20 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करने की आवश्यकता थी। यह कहा गया है कि संशोधन से पहले प्रस्तावित नियम सार्वजनिक क्षेत्र में थे और शुरू में शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद, बाद की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

6. यह भी तर्क दिया जाता है कि आरक्षक दूरसंचार विभाग के पद पर भर्ती के संबंध में, संशोधित नियमों के अनुसार आरक्षक दूरसंचार के रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह कहा गया है कि आरक्षक दूरसंचार के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14.06.2018 थी और 14.6.2018 पर ही संशोधित नियम की राजपत्र अधिसूचना आरक्षक दूरसंचार भर्ती नियमों के बाद बनाई गई थी। यह कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने परीक्षा की समान प्रकृति अर्थात् आरक्षक दूरसंचार विभाग उत्तीर्ण की थी, उनका चयन और भर्ती किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं के संबंध में तकनीकी आधार पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। यह आगे कहा गया है कि



छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन 2007 की धारा 50 को लागू करते हुए नियमों में संशोधन किया गया था और यह आगे तर्क दिया गया है कि उक्त पुलिस विनियमन नियमों के प्रकाशन के विषय में विचार नहीं करता है। इसलिए, यह कहा गया है कि अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म भरे जाने के समय राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। (2002) 6 एससीसी 127 यूनिवर्सिटी जी.एन. नायक बनाम गोवा में दर्ज एक प्रकरण का संदर्भ दिया गया और प्रस्तुत किया गया कि जब सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में था और परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी में था, तो केवल आशंका के आधार पर परीक्षा निरस्त करना अवैध, मनमाना और अविवेकपूर्ण है।

7. यह भी तर्क दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू हुई थी और संशोधित नियमों द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरवेंशन डिवाइस (आर. एफ. आई. डी.) को अपनाया गया था, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए मानव हस्तक्षेप को समाप्त करता है, जो कि अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका था। यह आगे कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया को मुंबई, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बी. एस. एफ. और सी. आर. पी. एफ., कर्नाटक पुलिस अधिनियम आदि की विभिन्न पुलिस एजेंसियों से अपनाया जाता है और जैसा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सरकार द्वारा सलाह दी गई थी। इसलिए, यह अधिक वैज्ञानिक है और इसे कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि राज्य इस विषय में मौन है कि परीक्षा को निरस्त करने का कारण क्या था क्योंकि परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण या समान प्रकृति की कोई शिकायत नहीं की गई थी। (1993) 2 एस. सी. सी. 279 पैरा 21 पेज 297 महेश चंद्र बनाम यूपीएफसी में प्रतिवेदित किए गए दर्ज मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि उत्तरवादी संतुष्ट करने में विफल रहे हैं और प्राधिकरण को न्याय, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और एक उचित विवेकशील व्यवहार कुशल/नियोक्ता के रूप में कार्यवाही को उचित ठहराना चाहिए।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि जब तक कोई पक्षपात नहीं दिखाया जाता है, केवल मनमाने ढंग से आशंका के आधार पर, उक्त प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। (2002) 2 एससीसी 712 पैरा 33 और 34 में आगे संदर्भ दिया गया है कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक मामलों में प्राधिकरण को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। अंत में (2005) 1 एससीसी 625 (पैरा 8 और 9) का संदर्भ देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि समान प्रकृति के नीतिगत निर्णय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार परखा जाना चाहिए। इसलिए, केवल मनमानी कार्यवाही पर, उन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि यह उनकी वैध उम्मीद थी कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उनके साथ निश्चित तरीके से व्यवहार किया जाएगा और किसी विशेष घटना के अभाव में, केवल विधि विभाग के मत पर, समान प्रकृति की परीक्षा निरस्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए, परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही मनमाना, अनुचित और निष्पक्षता की कमी है और उच्चतम न्यायालय (पूर्वोक्त) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के



अनुसार किसी भी कारण से समर्थित नहीं है और दिनांक 27.09.2019 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करता है।

9. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दस्तावेज का संदर्भ दिया और तर्क प्रस्तुत किया कि 2007 के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्यायोजित शक्ति के तहत बनाए गए थे, इसलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 50 के आधार पर नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दिनांक 23.02.2018 के राजपत्र अधिसूचना का संदर्भ देते हुए, जिसके द्वारा 2007 के नियम में संशोधन किया गया था, यह तर्क दिया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 को अलग उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जिसमें योग्यता निर्धारित करते हुए समान प्रकृति की भर्ती को सम्मिलित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, भले ही अधिनियम, 2007 की धारा 50 के तहत शक्ति के तहत नियमों में संशोधन किया गया हो, लेकिन उन्हें प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि इसलिए 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना की अवैधता भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति के तहत राजपत्र के बाद के संशोधन द्वारा पूर्ववत कर दी गई थी। यह भी कहा गया है कि जब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी, तब नियम 2007 लागू था। नियम 6 के तहत मानदंडों के कुछ प्रतिस्थापन और नियमों को हटा दिया गया था।

10. **एसएलपी (सिविल) संख्या 2631/2009 (बिहार राज्य बनाम मिथिलेश कुमार)** में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि को वर्तमान भर्ती नियम बाध्यकारी होंगे, न कि बाद में किया गया संशोधन और इस मामले में, चयन प्रक्रिया 29.12.2017 को शुरू हुई, उस समय पिछले नियम विधि की किताब में लागू थे। **(1983) 3 एस. सी. सी. 284** में प्रतिवेदित विधि में एक मामले का हवाला देते हुए आगे कहा गया है कि चूंकि वर्तमान मामलों में रिक्तियां भर्ती नियमों में संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थीं, इसलिए संशोधन से पूर्व के नियम भर्ती की प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। **एन. टी. देविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3 एस. सी. सी. 157** में भी इसी तरह अवलंब लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि इससे कोई पक्षपात नहीं होगा जब पूर्व विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा तथा उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

11. इसके अलावा, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघुवीर सिंह यादव (1994) 6 एससीसी 151** में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने से पहले हमेशा निरस्त किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए योग्यता बदलते हुए भर्ती नियमों में संशोधन किया जाता है और इस मामले में, गलत विज्ञापन के आधार पर भर्ती शुरू हुई और इस तरह चयन प्रक्रिया का सामना करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि चयन होने पर भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा,



चेयरमैन, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड बनाम के. श्याम कुमार (2010) 6 एससीसी 614 का अवलंब लिया गया और तर्क दिया गया कि भले ही नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया गया हो और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी सफल पाए गए हों, उन्हें ऐसे रिक्त पदों पर नियुक्त होने का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं होगा, खासकर जब अंतिम मेरिट सूची कभी प्रकाशित नहीं हुई और अभ्यर्थियों को कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। यह कहा गया है कि चयन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए, ऐसे किसी भी अभ्यर्थियों द्वारा कोई परमादेश नहीं मांगा जा सकता है, जिसका न तो चयन हुआ है और न ही नियुक्ति हुई है। यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया और चयन के लिए मानदंड निर्धारित करना नियोक्ता के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, यह राज्य का विशेषाधिकार है और चयन के लिए न्यायालय द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। (2008) 9 एससीसी 242 का अवलंब लिया गया। तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दस्तावेजों का भी परिशीलन किया गया। निर्विवाद तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर दिसंबर, 2017 में एक सूचना जारी किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 29.12.2017 को एक विज्ञापन जारी किया गया, जो अनुलग्नक पी-2 के रूप में प्रस्तुत है। उक्त विज्ञापन में शारीरिक दक्षता परीक्षण एक शर्त थी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अर्हता माप 05.40 मिनट में 1500 मीटर दौड़ पूरी करना होगा तथा इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों के लिए अर्हता माप 03.20 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरी करना होगा। विज्ञापन में शारीरिक दक्षता परीक्षण शीर्षक के अंतर्गत उक्त खण्ड इस प्रकार है:

शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

शारीरिक दक्षता परीक्षा, नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत पुरुषों के लिये 1500 मी. दौड़, 05 : 40 मिनट एवं महिलाओं के लिये 800 मी. दौड़ 03 : 20 मिनट में पूर्ण करना होगा। इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है, यह क्वालीफाईंग प्रकृति का है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण कर दिया जायेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. निःसंदेह, विज्ञापन की तिथि पर छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक बल, आरक्षक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2007 (जिसे आगे "2007 के नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नामक नियम विद्यमान



थे, जो अनुलग्नक आर-1 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त नियमों में विज्ञापन में दर्शाए गए उक्त खंड नहीं हैं। इसके बजाय, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

(6) उपनियम (4) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी अर्थात:-

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीन – आवेदन फार्म की छानबीन करते हुए, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। यथासंभव आवेदन फार्म लेने के बाद समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड होगी।

(दो) शारीरिक माप का मान – प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख नियम 9 के उपनियम (5) के (क) से (घ) के अनुसार (आँखों की दृष्टि, एवं आँखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा :- शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 100 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी:-

(अ) लम्बी कूद	20 अंक
(ब) ऊँची कूद	20 अंक
(स) गोला फेंक	20 अंक
(द) 100 मीटर दौड़	20 अंक
(इ) 800 मीटर दौड़	20 अंक

प्रत्येक परिणाम के जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची –तीन में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

उपरोक्त सभी आयमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा तथा सामान्य के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित



जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जावेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का तत्काल रिकार्ड रखने विवादों को समाप्त कर परीक्षा प्रवेश-पत्र का कार्य करने वाला एक बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना संलग्न है, जिसे अनिवार्यतः अपनाया जावे।

14. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04.02.2018 थी। 2007 के नियमों में हालांकि शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का खंड शामिल नहीं था, लेकिन इसे पूर्वोक्त रूप में विज्ञापित किया गया था। नियम में संशोधन करने के लिए राजपत्र अधिसूचना (अनुलग्नक पी- 5) दिनांक 23.02.2018 को जारी की गई थी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 05.40 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ के संबंध में अर्हता प्राप्त करने के लिए नियम में शामिल किया गया था और महिला अभ्यर्थियों के लिए, योग्यता माप 03.20 मिनट में 800 मीटर दौड़ होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रारंभिक विज्ञापन के अनुसार शारीरिक माप के लिए बुलाया गया और बाद में नियमों में संशोधन किया गया और अभ्यर्थियों का लघुसूचीयन करने के बाद, 2259 रिक्त पदों के लिए आरक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दिनांक 30.09.2018 को आयोजित की गई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा लिखित परीक्षा के प्रश्नों के मॉडल उत्तर 04 अक्टूबर 2018 को पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए तथा आपत्तियां आमंत्रित की गईं। आपत्तियां प्राप्त होने के पश्चात सभी सेटों में 4 प्रश्नों को हटा दिया गया। हालांकि, परिणाम अभी तक अघोषित है।

15. इसके बाद चूंकि परिणाम घोषित नहीं किए गए थे, इसलिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष 2019 के रिट याचिका सेवा क्र. 1923 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 18.03.2019 के आदेश (अनुलग्नक पी-9) द्वारा टिप्पणी की कि ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके बाद 27.09.2019 को अनुलग्नक पी-17 के तहत एक राजपत्र अधिसूचना अस्तित्व में आई, जिसके तहत पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, जिसे सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है।

16. याचिकाकर्ताओं प्रस्तुत करते हैं कि भर्ती आरक्षकों के संशोधित भर्ती नियमों के आधार पर की गई थी और सभी को इसकी जानकारी दी गई थी, इसलिए, परीक्षा निरस्त करने का बाद का निर्णय प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी होगा। उनके तर्क के समर्थन में, (2002) 6 एससीसी 127 (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया गया, जिसमें पुलिस अधिनियम के संदर्भ में कुछ दिशानिर्देश



जारी किए गए थे और उक्त विषय का मार्गदर्शन करने वाला कोई वर्तमान नियम लागू नहीं था। ऐसी पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अभ्यर्थी कतिपय आदेश से अवगत थे, उन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया और विषयवस्तु से भी अवगत थे, तत्पश्चात वह व्यर्थ नहीं होगा बल्कि एक अनियमितता होगी जिसका सुधार किया जा सकता है और इसलिए तकनीकी पहलुओं को न्याय के मार्ग पर हावी नहीं होना चाहिए।

17. वर्तमान प्रकरण में राज्य ने विशेष अभिवाक् दिया है कि विज्ञापन उस समय लागू नियमों के अनुसार नहीं था। यह भी स्वीकार किया गया है कि जब 29 दिसंबर 2017 को विज्ञापन जारी किया गया था, तब छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए आरक्षक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2007 के नियम लागू थे। राज्य का आशय 27 सितंबर 2019 को जारी की गई अधिसूचना से और पुष्ट होती है, जिसे अनुलग्नक पी-17 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पूर्व नियमों को प्रत्यावर्तित किया गया है। उस तिथि तक परिणाम घोषित नहीं किए गए थे।

18. उपरोक्त तथ्यात्मक संदर्भ में, **आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 3 एस. सी. सी. 55** के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि सुसंगत होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, तो वैधानिक नियमों को वैधानिक चिरभोग के अनुसार काम करना होगा। जब दिनांक 29.12.2017 को विज्ञापन जारी किया गया था तो वैधानिक नियम 2007 के थे जो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक अलग शारीरिक परीक्षण निर्धारित करते हैं क्योंकि 2007 के नियम अलग-अलग दक्षता परीक्षण निर्धारित करते हैं। इसलिए, आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। सुसंगत पैरा निम्नानुसार है:

“27. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक चिरभोग के अनुसार काम करना होगा। इस प्रकार, वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए, अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है और पद के लिए चयनित होने के बाद उसे नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और अवैध है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो यह वैधानिक नियम ही प्राथमिक होते हैं। इस संदर्भ में, मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग (2006) 9 एस. सी. सी. 507, पैरा 21 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। निर्णय के पैरा 21 में उपरोक्त प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है: (एस. सी. सी. पी. 512):

“21. वर्तमान विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि पीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि दिनांक 01.07.2001 और 01.07.2002 के बीच की आयु के थे,



उन्हें परीक्षा के लिए आयु के भीतर माना जाएगा। निस्संदेह, बाहर किए गए अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार पात्र आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार ही की जा सकती है और विज्ञापन में यदि कोई त्रुटि है, तो वह नियमों को अध्यारोही नहीं कर सकती है और किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अधिकार नहीं बना सकती है, जो अन्यथा नियमों के अनुसार पात्र नहीं है। आयु में छूट केवल तभी दी जा सकती है, जब नियमों के तहत अनुमति हो, न कि विज्ञापन के आधार पर। यदि विज्ञापन जारी करते समय पीएससी द्वारा नियमों की व्याख्या गलत थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए, प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।”

19. याचिकाकर्ताओं का दूसरा तर्क यह है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरवेंशन डिवाइस अधिक वैज्ञानिक है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। इन रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उक्त प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि याचिकाओं पर निर्णय सीमित क्षेत्र में किया जाता है कि जब विज्ञापन वैधानिक नियमों के विरुद्ध होगा तो क्या होगा।

20. **बिहार राज्य बनाम मिथिलेश कुमार**, एसएलपी (सिविल) क्र. 2631/2009 के मामले में 19 अगस्त, 2010 का निर्णय (एससीसी ऑनलाइन) उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर विद्यमान भर्ती नियम बाध्यकारी होंगे। न्यायालय ने आगे कहा कि पूर्व के निर्णय, जिनमें चयन प्रक्रिया के दौरान संशोधित और/या परिवर्तित नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में विधि की व्याख्या की गई है, सर्वसम्मति से कहते हैं कि चयन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर विद्यमान मानदंड या नियम ऐसे चयन को नियंत्रित करेंगे और ऐसे मानदंडों में कोई भी परिवर्तन जारी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि उसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता है।

21. इसी तरह **वाई.वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव (1983) 3 एस.सी.सी. 284** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधित नियमों से पहले हुई रिक्तियों को पुराने नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, न कि संशोधित नियमों के अनुसार। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधित नियमों से पहले रिक्त हुए पदों को भरने के लिए पुराने नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, न कि नए नियमों के अनुसार।

22. **एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग, (1990) 3 एससीसी 157 (पूर्वोक्त)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि लिखित या मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में ऐसे अधिकार पूर्ण नहीं हैं। यह भी देखा गया कि विधायी आशय या तो स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ द्वारा



सुनिश्चित की जानी चाहिए और यदि संशोधित नियम भूतलक्षी प्रकृति के नहीं हैं, तो चयन को उन नियमों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तिथि पर लागू थे।

23. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघुवीर सिंह यादव** 1994 6 एससीसी 151 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि राज्य को भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। आगे यह भी कहा गया कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें केवल उस समय प्रचलित नियम के अनुसार अपने दावे पर विचार करने की वैध अपेक्षा मिलेगी। जाहिर है कि किसी भी अभ्यर्थी ने विधि के विरुद्ध कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया है, इसलिए राज्य को उस अधिसूचना को वापस लेने का अधिकार है जिसके द्वारा उसने पूर्व के भर्ती को अधिसूचित किया था और संशोधित नियमों के आधार पर इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।

24. इसके अलावा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरुण के. सिंह (2003) 11 एससीसी 768** के मामले में कहा गया है कि किसी विशेष पद के लिए व्यक्तिगत आवेदक को तब तक परमादेश लागू होने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में चयनित न हो जाए और उसे नियुक्ति पत्र न मिल जाए। वर्तमान मामलों में कोई चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई है। उपरोक्त, चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि जब दिनांक 29.12.2017 को विज्ञापन जारी किया गया था, तो उस तिथि को शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 2007 के मौजूदा नियम से अलग थी, उस तिथि को आयोजित की जा रही थी। इसलिए, विज्ञापन वैधानिक नियम के विपरीत था जो योग्यता निर्धारित करता है। इसके बाद दिनांक 23.02.2018 को नियम में संशोधन किया गया, चयन प्रक्रिया जारी रही और अंततः दिनांक 27.09.2019 को 2018 के संशोधित नियम को अमान्य कर दिया गया। तब तक चयनित अभ्यर्थियों के नाम का खुलासा या प्रकाशन नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं का तर्क **मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग (2006) 9 एससीसी 507**, पैरा 21 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के विपरीत है, जिसका अनुसरण आशीष कुमार बनाम उ.प्र. राज्य (2018) 3 एससीसी 55 (पूर्वोक्त) में किया गया था। फलस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।

25. परिणामस्वरूप, याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं।

सही/-

गौतम भादुरी

न्यायाधीश



(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

